

प्रेषक,

अभिषेक सिंह द्वितीय  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
खाद्य एवं रसद विभाग,  
उ०प्र०, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 10 मई, 2018

विषय- श्री अखिलेश कुमार यादव, विपणन निरीक्षक, वाराणसी संभाग वाराणसी की पूर्व विभाग बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक के पद पर की गयी सेवा को जोड़ने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-300/आ०वि०शा०-वि०नि०/2014, दिनांक 16-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अखिलेश कुमार यादव, वाराणसी संभाग में विपणन निरीक्षक के पद पर दिनांक 26-11-2014 को योगदान करने से पूर्व बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के पद पर दिनांक 18-10-1996 से 18-12-2014 तक सेवायें की गयीं। उल्लेखनीय है कि सी०एस०आर० के अनुच्छेद 358 के अनुसार सेवा गणना हेतु अर्हकारी आयु 20 वर्ष है उससे पूर्व की सेवायें व्याय सर्विस कहलाती है। सेवा-पुस्तिका के अनुसार श्री यादव की जन्मतिथि 09-09-1977 है और सेवा में आने की तिथि 18-10-1996 है। अतः श्री यादव की सेवा में योगदान के समय आयु 19 वर्ष 01 माह 09 दिन हो रही है। अतः सेवा गणना में श्री यादव की सेवा से 10 माह 21 दिन की सेवा को हटाते हुए शासनादेश संख्या-सा-3-950/दस-2006-901/98, दिनांक 20-07-2006, शासनादेश संख्या-सा-3-1671/दस-2010-301(09)/2003 टी०सी०, दिनांक 16-09-2010 एवं सी०एस०आर० के अनुच्छेद के आलोक में जोड़े जाने में आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

3- श्री यादव द्वारा की गयी सेवाओं के सत्यापन, असाधारण अवकाश, सेवाओं में व्यवधान, उनकी सेवाओं में कोई तदर्थ सेवा तो नहीं है, आदि के संबंध में कृपया स्व-स्तर से संतुष्ट हो लें।

भवदीय,  
(अभिषेक सिंह द्वितीय)  
विशेष सचिव।

संख्या-यथोक्त तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- संभागीय खाद्य नियंत्रक, वाराणसी संभाग वाराणसी।
- 3- संबंधित कोषाधिकारी को आयुक्त, खाद्य एवं रसद के माध्यम से।
- 4- श्री अखिलेश कुमार यादव, विपणन निरीक्षक को खाद्यायुक्त के माध्यम से।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(प्रेम शंकर राय)  
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।